

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :- अमृत योजनान्तर्गत प्रस्तावित हजारीबाग जलापूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलित राशि 40718.06 लाख रुपये को 'झारखण्ड अनुसूचित दर-2018' के अनुसार पुनरीक्षित करने के उपरांत वर्तमान प्राक्कलित राशि 48599.81 लाख रुपये की लागत पर परियोजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

5302
01/11/18

राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.07.2018 को संपन्न बैठक में मद सं. 3 के रूप में अमृत योजना अंतर्गत हजारीबाग जलापूर्ति योजना की तत्कालीन प्राक्कलित राशि 40718.06 लाख रुपये पर कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार, विभागीय संकल्प सं० 3621 दिनांक 13.07.2018 द्वारा उक्त योजना को 40718.06 लाख रु० की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा जलापूर्ति परियोजनाओं एवं असैनिक कार्यों के लिए आवश्यक सामग्रीयों हेतु अनुसूचित दरों की अद्यतन सूची 'झारखण्ड अनुसूचित दर-2018' प्रकाशित किया गया है जो दिनांक 01.07.2018 से प्रभावी है। इस अनुसूचित दरों के आधार पर परियोजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं० 301 दिनांक 11.03.2015 के कंडिका-4.1 के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति के क्रम में वैधानिक लेवी/करों, विनियत दरों तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि के कारण योजना लागत में अपेक्षित वृद्धि को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासी विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है।

4. उक्त के आलोक में जुझको लि० द्वारा प्रस्तावित परियोजना के BoQ को अनुसूचित दरों की अद्यतन सूची के अनुसार पुनरीक्षित किया गया जिसके अनुसार BoQ की प्राक्कलित राशि 47162.90 लाख रु० है। उक्त प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. उक्त के संदर्भ में 'झारखण्ड अनुसूचित दर-2018' के अनुसार हजारीबाग शहरी जलापूर्ति परियोजना की पुनरीक्षित लागत राशि 48599.81 लाख (चार सौ पचासी करोड़ निम्नानबे लाख एकासी हजार) रु० को निम्नवत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:

SL. No.	Details	Present Amount
1	Administrative Approval as per Govt. Resolution 3621 Dated. 13.07.2018	40718.06
2	Revised Project Cost as per JSOR-2018 without GST	35203.74
3	Added GST according to JSOR 2018-19	4121.35
4	Total Project Cost after adding GST (B)	39325.09
5	Labour Cess @1 % of Total (B)	393.25
6	PMC Charges @ 1.5% of Total (B)	589.88
7	JUIDCO Charges (योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	697.04
8	CAPEX	41005.26
9	Provision for Land acquisition	150.00
10	CAPEX including Land acquisition	41155.26
11	Provision for 3 years (construction period)+ 5 years (Post construction) O & M cost	7370.84
12	Labour Cess @1 % in O&M	73.71
13	Total OPEX	7444.55
Total Cost of the Project (CAPEX + OPEX)		48599.81

Signature

6. परियोजना की पूर्व स्वीकृत राशि एवं पुनरीक्षित लागत राशि के अंतर को राज्य योजना के सुसंगत मद से वहन किया जाएगा।

7. विभागीय संकल्प सं० 3621 दिनांक 13.07.2018 में उक्त प्रसंग संदर्भित कंडिकाओं को छोड़कर अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— JUIDCO/W.S. Hazaribag/DPR-Setech/953/2016.....5302 राँची, दिनांक—.....०१/११/१८
प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— JUIDCO/W.S. Hazaribag/DPR-Setech/953/2016.....5302 राँची, दिनांक—.....०१/११/१८
प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग/कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर निगम/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।